



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001
संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना


विज्ञापन सं.-25/2024, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40247 (चालीस हजार दो सौ सैंतालीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक-01.03.2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरणी निम्नवत थी :-

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग
1.	अनारक्षित वर्ग	10081	3529	803	(VI) - 418
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4018	1408		(DD) - 406
3.	अनुसूचित जाति	8041	2814		(OH) - 395
4.	अनुसूचित जनजाति	806	283		(MD) - 390
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	10056	3521		
6.	पिछड़ा वर्ग	7245	2538		
कुल		40247	14093	803	1609

CWJC No.-16760/2023, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.06.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) No. 014086/2024 एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किये जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-16738, दिनांक-16.10.2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्तियों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग
1.	अनारक्षित वर्ग	15180	5312	759	(VI) - 394
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3791	1328		(DD) - 387
3.	अनुसूचित जाति	6069	2126		(OH) - 372
4.	अनुसूचित जनजाति	393	139		(MD) - 365
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	6822	2386		
6.	पिछड़ा वर्ग	4549	1592		
7.	पिछड़ा वर्ग की महिला	1139	-		
कुल		37943	12583	759	1518

विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।


17.10.2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।